भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *159
13.02.2023 को उत्तर के लिए
कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान

***159. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी 42 मिलियन प्लस शहरों (एमपीसी) को कार्य-निष्पादन आधारित अनुदानों की सिफारिश करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत अन्य 90 गैर-प्राप्ति (नॉन-अटेन्मेंट) वाले शहरों की निगरानी के लिए भी यही तंत्र लागू है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मिलियन प्लस शहरों (एमपीसी) को परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी अनुदान जारी करने का निर्धारण करने वाले मापदंडों और निष्पादन मैट्रिक्स का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान" के संबंध में डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 159 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क), (ख) और (ग) : पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों/शहरी समूहों को संबंधित शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए कार्य-निष्पादन आधारित परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुदान के रूप में 12,139 करोड़ रूपए की मिलियन - प्लस शहरों हेतु चुनौती निधि (एमसीएफ) की अनुशंसा की है। व्यय विभाग ने 42 मिलियन - प्लस शहरों / शहरी समूहों के लिए एमसीएफ जारी करने हेतु अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 10.08.2021 के तहत परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएच और यूए) तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके शहरों के वायु गुणवत्ता से संबंधित कार्य-निष्पादन के आधार पर एमसीएफ जारी करने की अनुशंसा करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, मिलियन प्लस शहरों (एमपीसी)/शहरी समूहों को निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुदान जारी किए गए थे:

i. प्रदूषण निगरानी तंत्रों को सुदृढ़ करना;

ii. वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारणों का स्रोत-वार विश्लेषण;

iii. कार्य-योजनाओं की प्रगति और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन;

iv. भार की गणनाओं के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार की मात्रा का निर्धारण।

ऊपर उल्लिखित मापदंडों और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शहरों के कार्य-निष्पादन के आकलन हेतु तत्संबंधी वेटेज का ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

15वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए 82 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 82 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों के लिए एनसीएपी के तहत निधियां जारी करने और उनका उपयोग करने के लिए प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

मिलियन प्लस शहरों/शहरी समूहों को वायु गुणवत्ता अनुदान जारी करने हेतु शहर कार्य-निष्पादन आकलन के लिए मापदंडों का विवरण

शहर कार्य-निष्पादन आकलन के लिए वर्ष-वार वेटेज निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मापदंड 2021	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
क	प्रदूषण निगरानी तंत्रों को सुदृढ़ करना;	10	-	-	-	-
ख	वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारणों का स्रोत-वार विश्लेषण;	10	-	-	-	-
ग	कार्य-योजनाओं की प्रगति और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन;	10	-	-	-	-
घ	भार की गणनाओं के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार की मात्रा का निर्धारण।	70	100	100	100	100
कुल		100	100	100	100	100

क. प्रदूषण निगरानी तंत्रों को सुदृढ़ करना:

क. वायु गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ (एक्यूएमसी) का संचालन।

ख. आईटी-समर्थित वायु गुणवत्ता डेटा प्रबंधन प्रणालियां।

ग. समवन्य समिति की समीक्षाएं जिनमें जन-शिकायत निवारण पोर्टल, आपातकालीन कार्रवाई और जागरूकता कार्यक्रम सहित शहर की कार्य योजनाओं की प्रगति और समीक्षा शामिल है।

ख. वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारणों का स्रोत-वार विश्लेषण :

क. हॉटस्पॉटों सहित वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने हेतु वायु गुणवत्ता का प्रोफाइल तैयार करना।

ख. स्रोत संविभाजन अध्ययन और मजबूत उत्सर्जन सूची प्रणाली की स्थापना।

ग. आईटी आधारित उत्सर्जन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करना।

ग. कार्य योजनाओं की प्रगति और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन :

क. शहरी कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन और अद्यतनीकरण।

ख. वाहनों के लिए पीयूसी की निगरानी।

ग. अवसंरचना नियोजन और (सीएएक्यूएमएस/मैनुअल एक्यूएम) की स्थापना।

घ. **भार की गणनाओं के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार की मात्रा का निर्धारण :**

वायु गुणवत्ता में सुधार की मात्रा के दो भाग हैं, नामत: विविक्त कण (PM10) में कमी और आधार वर्ष 2019-20 से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में हुए सुधार के अनुसार अच्छे दिनों की संख्या में वृद्धि। 42

मिलियन-प्लस शहरों/समूहों (शहर/शहरी समूह) के कार्य-निष्पादन का आकलन विभिन्न स्तरों पर किया गया था और 15वें वित्त आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट के खंड-II, अध्याय-7 के अनुबंध 7.8, 7.8क और 7.8ख में निर्धारित मापदंडों के आधार पर निधियां जारी की गईं।

उपर्युक्त मापदंड घ और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए मिलियन प्लस शहरों (एमपीसी) को परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी अनुदान जारी करने के लिए उपयोग किए गए कार्य निष्पादन मैट्रिक्स के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नानुसार है:

i. वायु प्रदूषण के स्तरों में कमी (विविक्त कण)

तालिका - क पीएम$_{10}$ की वार्षिक औसत सांद्रता		
क्र.सं.	**वार्षिक औसत सांद्रता में कमी (%)**	**सुधार**
1	15 और उससे अधिक	उच्च
2	<15	निम्न

ii. एक्यूआई स्तरों में वृद्धि की आवृत्ति :

प्रति वर्ष निगरानी किए गए सामान्य दिनों की कुल संख्या में से अधिक एक्यूआई (मध्यम-200) वाले दिनों की संख्या को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

तालिका-ख अच्छे दिन (एक्यूआई<200)		
क्र.सं.	**अच्छे दिनों की संख्या में वृद्धि (%)**	**सुधार**
1	15 और उससे अधिक	उच्च
2	<15	निम्न

उपर्युक्त तालिका 'क' और तालिका 'ख' में दिए गए श्रेणीकरण के आधार पर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए संयुक्त कार्य निष्पादन कारक को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार शहरों/शहरी समूहों के लिए वर्गीकृत और मूल्यांकित किया जाएगा:

क्र.सं.	**वार्षिक औसत सांद्रता में कमी (%) (तालिका क से)**	**अच्छे दिनों की संख्या में वृद्धि (%) (तालिका ख से)**	**शहर (शहरों) का कार्य निष्पादन कारक अथवा स्कोर**
1	उच्च	उच्च	100
2	निम्न	उच्च	75
3	उच्च	निम्न	50
4	निम्न	निम्न	25

कार्य निष्पादन के आधार पर, परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मिलियन प्लस चैलेंज फंड (एमसीएफ) को अधिनिर्णय (अवार्ड) की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में एकल किस्त के रूप में नीचे दिए गए अनुपात में जारी किया जाना है:

तालिका - शहरों के लिए निधि आवंटन (कार्य निष्पादन आधारित)	
शहर (शहरों) का स्कोर	**वर्ष 2021-22 से निधि आवंटन की प्रतिशतता**
80-100	100
60-80	75
50-60	50
40-50	25
40 से कम	शून्य

******